भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4778

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

भूजल भंडार

4778. श्री विष्णु दयाल रामः

श्री करण भूषण सिंहः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में भूजल भंडारों की राज्य-वार और जिला-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) संवेदनशील क्षेत्रों में भूजल भंडारों में कमी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों और जिलों में पहचान किए गए प्रमुख प्रदूषकों सहित भूजल संदूषण की सीमा और प्रकृति क्या है; और

(घ) भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से अति-दोहित और गंभीर रूप से प्रभावित ब्लॉकों में, किए गए विशिष्ट कार्यक्रमों या पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और संबंधित राज्य नोडल/भूजल विभागों द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सक्रिय भूजल संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। "भारत के सक्रिय भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन, 2024" की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 446.9 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) आकलित किया गया है। कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 406.19 बीसीएम आंका गया है और सभी उद्देश्यों (जैसे घरेलू, औद्योगिक, कृषि उपयोग आदि) के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 245.64 बीसीएम अनुमानित है। भूजल निष्कर्षण (एसओई) का चरण, जिसे पूरे देश के लिए वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन पर वार्षिक भूजल निष्कर्षण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, 60.47% है।

वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार देश के लिए राज्य-वार भूजल संसाधन आकलन का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है। जिले-वार विवरण निम्नलिखित लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:

https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17357182991031590738file.pdf#page=167

(ख) से (घ): जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यत राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में, अति-दोहित और गंभीर ब्लॉकों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश में भूजल संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:-

i. वर्ष 2019 से सरकार देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रही है जिसमें वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, जेएसए 2025 को देश में लागू किया जा रहा है, जिसमें अति-दोहित और गंभीर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रैला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। जेएसए डैशबोर्ड के अनुसार, पिछले 4 वर्षों में, देश में 1.14 करोड़ से अधिक जल संचयन और पुनर्भरण कार्यों को पूरा करने का समन्वय किया गया है।

ii. इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी ने देश के लगभग 25 लाख वर्ग किमी मानचित्रण योग्य क्षेत्र को शामिल करते हुए राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (नेक्यूम) परियोजना भी पूरी कर ली है। इसके अतिरिक्त, जिला-वार जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और आगे उपयुक्त उपाय करने के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं।

iii. भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें लगभग 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) जल के दोहन की अनुमानित लागत के साथ देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है।

iv. भारत सरकार 7 राज्यों के 80 जल संकट वाले जिलों में अटल भूजल योजना लागू कर रही है, जिसमें भूजल संसाधनों का समुदाय आधारित स्थायी प्रबंधन और मांग प्रबंधन इसका मुख्य विषय है।

v. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार, वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना लागू कर रहा है, जो उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। वर्ष 2015-16 से दिसंबर 2024 तक पीडीएमसी योजना के माध्यम से देश में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 94.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।

vi. मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और जीर्णोद्धार करना है। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ जीर्णोद्धार किया गया है।

vii. जल शक्ति मंत्रालय सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दे रहा है और भूजल पर निर्भरता को कम कर रहा है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत देश में सतही जल आधारित वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

viii. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए द्वारा दिनांक 24.09.2020 के अपने दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार देश में भूजल की निकासी सह उपयोग को विनियमित किया जाता है, जो अखिल भारतीय स्तर पर लागू हैं।

ix. उपर्युक्त प्रयासों को पूरा करने के लिए कई राज्यों ने जल संरक्षण/संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उनमें से कुछ का उल्लेख राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान', महाराष्ट्र में 'जलयुक्त शिबर', गुजरात में 'सुजलाम सुफलाम अभियान', तेलंगाना में 'मिशन काकतिया', आंध्र प्रदेश में नीरू चेततु ', बिहार में जल जीवन हरियाली, हरियाणा में 'जल ही जीवन', तमिलनाडु में कुडीमारमठ योजना आदि के रूप में किया जा सकता है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने भूजल गुणवत्ता मानीटरिंग कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर पूरे देश के भूजल गुणवत्ता आंकड़े तैयार करता है। कुल मिलाकर, भूजल गुणवत्ता के आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में भूजल काफी हद तक पीने योग्य है। तथापि, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ अलग-थलग पाकेटों में पेयजल उपयोग के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक फ्लोराइड, भारी धातुओं, नाइट्रेट्स आदि जैसे कुछ संदूषकों की स्थानीय रूप से मौजूदगी की सूचना मिली है। सीजीडब्ल्यूबी की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भूजल के नमूने और देश भर में फैले 15,259 मानिटरिंग स्थानों के विश्लेषण डेटा के आधार पर प्रमुख संदूषकों का विवरण अनुलग्नक **-II** में दिया गया है।

जिला-वार वितरण और रुझानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।:

https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17363272771910393216file.pdf

*****

अनुलग्नक-I

"भूजल भंडार" के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 4778 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत के राज्य-वार भूजल संसाधन, 2024

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण (बीसीएम में*)	वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (बीसीएम में)	वर्तमान वार्षिक भूजल निष्कर्षण (बीसीएम में)	भूजल निष्कर्षण का चरण (%)
1	आंध्र प्रदेश	27.80	26.41	7.88	29.83
2	अरुणाचल प्रदेश	3.88	3.46	0.01	0.39
3	असम	27.21	20.89	2.64	12.61
4	बिहार	34.15	30.95	14.10	45.54
5	छत्तीसगढ	14.18	12.93	6.12	47.32
6	गोवा	0.38	0.31	0.07	22.91
7	गुजरात	27.58	25.58	13.86	54.21
8	हरियाणा	10.32	9.36	12.72	135.96
9	हिमाचल प्रदेश	1.11	1.01	0.36	35.48
10	झारखंड	6.28	5.76	1.81	31.43
11	कर्नाटक	18.74	16.88	11.55	68.44
12	केरल	5.67	5.13	2.76	53.78
13	मध्य प्रदेश	35.90	33.99	19.85	58.40
14	महाराष्ट्र	33.03	31.15	16.50	52.99
15	मणिपुर	0.52	0.47	0.04	8.00
16	मेघालय	1.86	1.53	0.07	4.60
17	मिजोरम	0.21	0.19	0.01	3.95
18	नगालैंड	0.62	0.56	0.03	4.72
19	ओडिशा	17.46	16.04	7.74	48.23
20	पंजाब	19.19	17.63	27.66	156.87
21	राजस्थान	12.58	11.37	17.05	149.86
22	सिक्किम	0.24	0.22	0.01	5.85
23	तमिलनाडु	21.51	19.46	14.45	74.26
24	तेलंगाना	20.40	18.44	8.47	45.91
25	त्रिपुरा	1.45	1.18	0.11	9.48
26	उत्तर प्रदेश	72.84	66.38	46.76	70.45
27	उत्तराखंड	2.14	1.96	1.05	53.54

28	पश्चिम बंगाल	25.89	23.56	10.75	45.63
29	अंडमान और निकोबार	0.38	0.34	0.01	2.08
30	चंडीगढ़	0.06	0.05	0.03	66.13
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.12	0.12	0.16	142.17
32	दिल्ली	0.38	0.34	0.34	100.77
33	जम्मू और कश्मीर	2.55	2.30	0.51	22.28
34	लद्दाख	0.07	0.06	0.02	30.93
35	लक्षद्वीप	0.01	0.01	0.00	61.32
36	पुडुचेरी	0.19	0.17	0.13	75.91
	कुल योग	446.908	406.194	245.646	60.475

* बीसीएम:- विलियन क्यूबिक मीटर

<u>अनुलग्नक-II</u>

"भूजल भंडार" के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 4778 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भूजल में प्रमुख संदूषकों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं	राज्य	विद्युत चालकता (ईसी)	नाइट्रेट	फ़्लोराइड

		विश्लेषित नमूनों की संख्या	नमूनों का % जिनका ईसी >3000 माईक्रोसीमेन्स/सेमी है	पृथक क्षेत्रों में जिलों की संख्या जहाँ पर ईसी > 3000 माईक्रोसीमेन्स/सेमी है	विश्लेषित नमूनों की संख्या	नमूनों का % जिनका नाइट्रेट 45 मि.ग्रा/ली. है	पृथक क्षेत्रों में जिलों की संख्या जहाँ पर नाइट्रेट > 45 मि.ग्रा/ली. है	विश्लेषित नमूनों की संख्या	नमूने जिनका फ्लोराइड > 1.5 मि.ग्रा/ली. है	पृथक क्षेत्रों में जिलों की संख्या जहाँ पर फ्लोराइड > 1.5 मि.ग्रा/ली. है
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	113	0	0	113	0	0	113	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1149	9.7	23	1149	23.5	26	1149	11.31	17
3	अरुणाचल प्रदेश	12	0	0	12	0	0	12	0	0
4	असम	155	0.6	1	155	0	0	155	0	0
5	बिहार	808	0.9	5	808	2.35	15	808	4.58	6
6	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	8	0	0	8	0	0	8	0	0
7	छत्तीसगढ	783	0.3	2	783	11.49	20	783	1.79	8
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	17	5.9	1	17	0	0	17	0	0
9	दिल्ली	103	23.3	5	103	20.39	7	103	16.5	6
10	गोवा	10	0	0	10	0	0	10	0	0
11	गुजरात	632	19.6	24	632	18.04	23	632	13.92	25
12	हरियाणा	879	21	19	879	14.56	21	879	23.66	17
13	हिमाचल प्रदेश	171	0	0	171	9.36	6	171	1.17	2
14	जम्मू एवं कश्मीर	250	0	0	250	9.2	6	250	0	0
15	झारखंड	397	0	0	397	5.79	9	397	2.77	8
16	कर्नाटक	345	14.5	15	345	48.99	27	345	17.68	19
17	केरल	342	0	0	342	6.73	10	342	0.29	1
18	मध्य प्रदेश	589	1.2	5	589	22.58	39	589	1.02	6
19	महाराष्ट्र	1567	3.6	21	1567	35.74	32	1567	1.91	10
20	मेघालय	39	0	0	39	0	0	39	0	0

21	मिजोरम	3	0	0	3	0	0	3	0	0
22	नगालैंड	6	0	0	6	0	0	6	0	0
23	ओडिशा	625	1.1	4	625	14.4	15	625	4.48	10
24	पांडिचेरी	4	0	0	4	25	1	4	0	0
25	पंजाब	922	6.7	9	922	12.58	20	922	13.77	17
26	राजस्थान	630	48.6	26	630	49.52	30	630	43.17	31
27	तमिलनाडु	916	9.2	24	916	37.77	31	916	9.72	21
28	तेलंगाना	1150	3	16	1150	27.48	32	1150	14.87	28
29	त्रिपुरा	81	0	0	81	2.47	2	81	0	0
30	उत्तर प्रदेश	1387	2.7	13	1387	9.37	48	1387	5.7	27
31	उत्तराखंड	207	0	0	207	17.39	5	207	0.48	1
32	पश्चिम बंगाल	959	0.8	5	959	8.65	18	959	0.73	3
कुल योग		15259	7.3	218	15259	19.8	443	15259	9.04	263
		18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 218 जिलों के हिस्से			23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 443 जिलों के हिस्से			20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 263 जिलों के हिस्से		

*टिप्पणी: 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से लद्दाख, लक्षद्वीप, सिक्किम और मणिपुर में सीजीडब्ल्यूबी के भूजल गुणवत्ता निगरानी केंद्र मौजूद नहीं हैं।

****